8. रवींद्र विद्युत मंत्रालय में एक वरिष्ठ अभियंता हैं। उन्हें पता चलता है कि एक ठेकेदार, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ने सरकार द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना में घटिया सामग्री का उपयोग किया है। यह त्रुटिपूर्ण कार्य ग्रामीणों के लिये खतरा बन सकता है। उनके वरिष्ठों ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे को उठाने से 'विभाग की बदनामी' हो सकती है और संभवतः पदोन्नति भी रुक सकती है। रवींद्र अपने वरिष्ठों के प्रति सत्यनिष्ठा और जन-सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच दुविधा में हैं। (250 शब्द) 20

Ravindra is a senior engineer in the Ministry of Power. He discovers that a contractor, with political backing, has used substandard material in a government-funded rural electrification project. The faulty work could pose a danger to villagers. His seniors hint that raising the issue would "embarrass the department" and possibly stall promotions. Ravindra is torn between loyalty to his seniors and his commitment to public safety. (250 words) 20

(a) रवींद्र को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?
What are the ethical dilemmas faced by Ravindra?

(b) एक कार्यवाही का सुझाव दीजिये और उसे नैतिक तर्क के साथ उचित ठहराइये।
Suggest a course of action and justify it with ethical reasoning.

(c) वे कौन-से संस्थागत सुरक्षा उपाय है,जो नैतिक पारदर्शिता को प्रतिशोध के डर के बिना सुनिश्चित कर सकते हैं?
What institutional safeguards can ensure ethical disclosures without fear of retaliation?

उम्मीदवार को हाशिये में न... चाहिये। (Candidate ... write on thi...

इस केस स्टडी में लोकपरियोजनाओं में निहित भ्रष्टाचार, याराना पूंजीवाद तथा लोक सेवाओं की दक्षता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

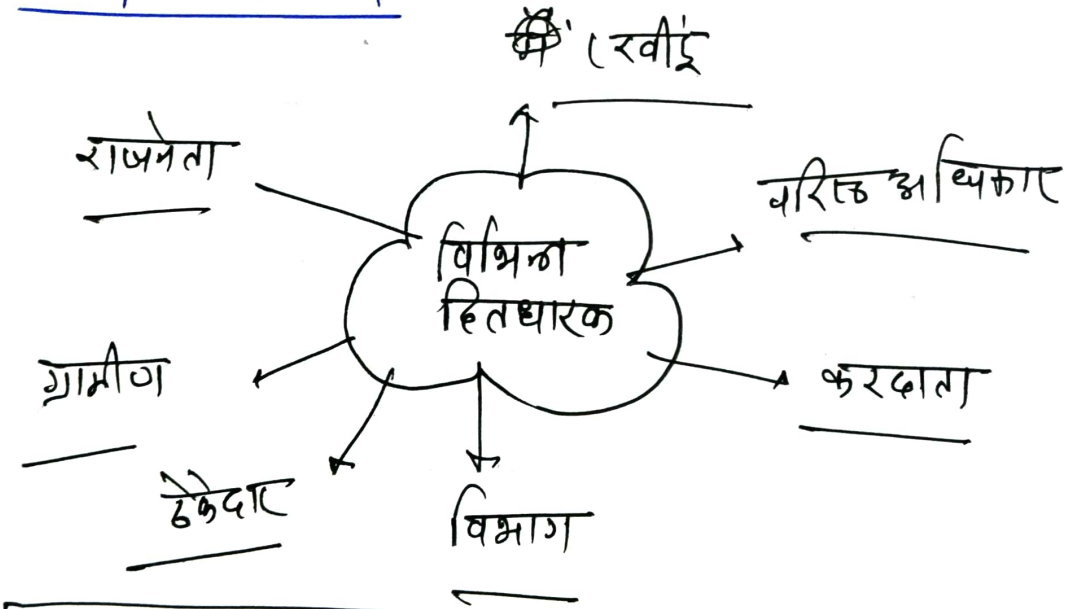

(1) रवींद्र के समक्ष विद्यमान नैतिक दुविधाएं

(i) पारदर्शिता बनाम गोपनीयता — हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी सार्वजनिक किए जाए

अथवा इसे गोपनीय रखा जाए।

(2.) व्यक्तिगत लाभ बनाम कर्तव्यवाद :-

↳ अपनी प्रेरणती को ध्यान में रखा जाए या फिर अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करते हुए आवाज उठाई जाए।

(3.) वरिष्ठों का आज्ञापालन बनाम ~~लोगों~~ के प्रति लोकसेवाओं उत्तरदायी

↳ वरिष्ठों के निर्देश पर ध्यान दिया जाए अथवा लोक सेवाओं को महत्व दिया जाए।

(4.) परियोजना की दक्षता बनाम लोक वित्त का दुरुपयोग :-

↳ परियोजना को अधिक दक्ष बनाए रखने के लिए लोक वित्त के दुरुपयोग के विरुद्ध आवाज उठाए जाए या नहीं।

(5.) संस्था की छवि बनाम ग्रामीणों का हित

↳ संस्था की छवि को बनाए रखने पर ध्यान दिया जाए या फिर ग्रामीणों को उत्तम सेवा प्रदायगी पर बल दिया जाए।

(6.)

(b.) उपयुक्त ~~तर्क~~ कार्यवाही और नैतिक तर्क :-

कार्यवाही	तर्क
(1.) अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अनुनयन किया जाए	इससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग व समर्थन मिलेगा।
(2.) दोषी ठेकेदार के ~~विरुद्ध~~ तथ्यों के प्रकटीकरण तथा अपने परियोजना संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए प्रेरित किया जाए	इससे एक तरफ तो दोषी ठेकेदार की भ्रष्ट नीति का उद्घाटन होगा वही दूसरी तरफ लोक वित्त का सदुपयोग हो सकेगा
(3.) सोशल ऑडिट को महत्व दिया जाए ~~परियोजनाओं में सामाजिक भागीदारी~~	→ परियोजनाओं में जनभागीदारी बढ़ेगी फलत: दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
(4.) आवश्यक होने पर स्वयं भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण किया जा सकता	~~व्हिसलब्लोअर~~ व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम इसकी अनुमति देता है
(5.) ऐसी किसी भी संविदा से पूर्व पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों की सत्यनिष्ठा की जाँच आवश्यक होनी चाहिए	इससे नैतिक एवं ईमानदार ठेकेदारों को ही संविदा मिल सकेगा।

उम्मीदवार ...
हाशिये में ...
चाहिये।
(Candidat...
write on ...

(C) नैतिक पारदर्शिता को प्रतिशोध के भय से मुक्त करने वाले संस्थागत सुरक्षा ढाँचा। -

(1) प्रवर्तन निदेशालय :- वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित संस्था।

(2) CBI - किसी भी तरह के भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध

(3) लोकपाल / लोकायुक्त

यह PM जैसे पदों को भी भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है

(4) व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014

नैतिक पारदर्शिता के समर्थकों को सुरक्षात्मक ढाँचा प्रदान करता है

(5) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018

रिश्वत लेना और देना दोनों को ही भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित करता है

(6) स्थानीय पुलिस

भ्रष्टाचार के उद्घाटनकर्ताओं को आवश्यक होने पर सुरक्षा प्रदान करती है।

कोलीकैपिटलिज्म तथा लोक परियोजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसकी अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (2024) में भारत के 96 th स्थान से भी होती है के समाधान हेतु पर्याप्त नैतिक कार्यवाही तथा वैधानिक ढाँचे का सुचिता मूलक कार्यान्वयन आवश्यक है।